

2198

7867





सत्यमेव जयते


# INDIA NON JUDICIAL Government of Jharkhand

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-JH05228918267835P
Certificate Issued Date	: 29-Mar-2017 12:46:31M
Account Reference	: NONACC (FI)/jhdopjc07/DORANDA/JH-RNC
Unique Doc. Reference	: SUBIN-JHJHDOPJC0707434060209211P
Purchased by	: SHIVAASHISH CONSTRUCTIONS PVT LTD
Description of Document	: Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement
Property Description	: BUILDER AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SHIVAASHISH CONSTRUCTIONS PVT LTD
Second Party	: NARENDRA GUPTA AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	: SHIVAASHISH CONSTRUCTIONS PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 500 (Five Hundred only)



.....Please write or type below this line.....



1514117

Malti Devi

Narendra Prasad Gupta


Mangal Kumar

15/3/17  
2017

VO 0003251906



Narendra Prasad Gupta  
15/4/17



15/4/17 — 10701

Narendra Prasad Gupta

Manandan Prasad Gupta  
Chutia Banchi

Business

15/4/17

लेख्यधारी का नाम पूरा व पता:- शिवाशीष कॅन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड, प्रधान कार्यालय ऑफिस संख्या 406 चतुर्थ तल्ला ईस्टर्न मॉल (पेन्टालून) नियर डंगराटोली चौक थाना-लालपुर जिला-रॉंची 834001, द्वारा इसके निदेशक (डाईरेक्टर्स) (1) श्री अंजय मेहता आधार संख्या 7456 0104 7996 पिता-श्री वीरचन्द्र महतो एवं (2) श्रीमति रूबी मेहता आधार संख्या 6111 6928 4782 पति-श्री अंजय मेहता, दोनो जाति-कोयरी (कुशवाहा), दोनो धर्म-हिन्दू, दोनो पेशा-व्यापार, दोनो का निवास स्थान-फ्लैट संख्या 109 शिवाशीष कुंज राजनगर पॉवर हाउस कॉलोनी, पोस्ट-कृष्णापुरी, थाना-चुटिया, जिला-रॉंची, झारखण्ड पैन-AAPCS0871H भारतीय नागरिक (डेवलपर्स) ————— द्वितीय पक्षगण।

(संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो लेख्यकर्ता एवं लेख्यधारी सदा उनके सभी वारिशगण, वंशज उत्तराधिकारी, विधिक मोख्तार, करपरदाज सभी सम्मिलित समझे जाएंगे।)

विदित हो कि मवाजी कुल रकबा 4.94 डिसमिल (3 कड्डा) जमीन हकियत खरीदगी, कायमी व दखली अपना हक व हिस्सा वाके मौजा-चुटिया, थाना नं0-211, वार्ड संख्या-13, अंचल-शहर अंचल सदर रॉंची, थाना-चुटिया, जिला रॉंची में स्थित व जिला निबंधन पदाधिकारी, सह अवर निबंधन पदाधिकारी जिला रॉंची झारखण्ड से संबंधित है।

खाता सं०	प्लॉट सं०	संब प्लॉट सं०	मौजा	थाना नं०	रकबा।
85	86 1185	86/II 1185	चुटिया	211	2.47 डीसमिल।
85	86 1185	86/I 1185	चुटिया	211	2.47 डीसमिल।

कुल रकबा 4.94 डीसमिल।  
आर० एस० खाता नं० पचासी, आर० एस० प्लॉट नं० छियासी बटे एक हजार एक सौ पचासी, संब प्लॉट संख्या छियासी बटे एक हजार एक सौ पचासी भाग एक, रकबा दो पोआईन्ट चार सात डिसमिल एवं आर० एस० खाता नं० पचासी, आर० एस० प्लॉट नं० छियासी बटे एक हजार एक सौ पचासी, संब प्लॉट संख्या छियासी बटे एक हजार एक सौ पचासी भाग दो का भाग, दो पोआईन्ट चार सात डिसमिल दोनो प्लॉट में कुल मिलाकर रकबा चार पोआईन्ट नौ चार डिसमिल जमीन को विकसित कर ईमारत बनाने हेतु यह एकरारनामा किया जा रहा है।

विदित हो कि उक्त 4.94 डिसमिल वर्तमान जमीन के दोनों मालिकों श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता-श्री रघुनन्दन प्रसाद गुप्ता, एवं श्रीमति मालती देवी पति-श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने अपनी उक्त जमीन श्री राम सेवक महतो पिता स्व० गया महतो से उनके द्वारा नियुक्त मोख्तारआम श्री मदन सिंह एवं श्री तापेश्वर सिंह से पट्टा संख्या 1069 एवं पट्टा संख्या 1070 दिनांक 17-02-1998 ई० को खरीदकर प्राप्त किया है। साथ ही दाखिल खारीज वाद संख्या 946 आर (27)/14-15 दिनांक 28-06-2014 ई० एवं 944 आर (27)/14-15 द्वारा दिनांक 28-06-2014 ई० को अपने अपने नाम में दाखिल खारीज करवा कर रसीद कटवा रहे हैं।

Narendra Prasad Gupta

Malti Devi

विदित हो कि उक्त 4.94 डिसमिल जमीन श्री राम सेवक महतो पिता स्व० गया महतो की खतियानी जमीन थी एवं उन्हे उत्तराधिकार में पिता के मरणोपरान्त प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दोनो रजिस्टर्ड पट्टा से दोनों वर्तमान जमीन के मालिकों ने उक्त 4.94 डिसमिल खरीदा हैं। जमीन पर प्रथम पक्षगण शान्तिपूर्ण ढंग से दखल कब्जा में रहते हुए द्वितीय पक्ष शिवाशीष कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड को आज दिनांक 04-08-2014 ई० को एक डेवेलपमेंट एग्रीमेंट के द्वारा दोनो प्रथम पक्ष मिलकर सम्मिलित रूप से एक साथ अपनी अपनी जमीन विकसित कर ईमारत बनाने हेतु दे दिया।

यह विदित हो कि जमीन के सभी मालिकगण सम्मिलित रूप से उक्त जमीन पर पूरे हक व हिस्से के साथ शान्तिपूर्ण रूप से दखल कब्जा में चले आ रहे हैं।

विदित हो कि जमीन के दोनों मालिक व विकासकर्ता निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुए हैं:-

यह कि विकासकर्ता जमीन का विकास (डेवेलपमेंट) करते हुए अपने खर्च से 36 माह व अतिरिक्त 6 माह में बहुमंजिली इमारत पूरा करेंगे। व्यवसायिक/आवासीय बहुमंजिली इमारत का नाम "शिव साई वाटिका" होगा। विकासकर्ता अपने द्वारा तैयार एवं प्रथम पक्षगण से सहमति से योजना के मुताबिक राँची नगर निगम कार्यालय राँची से अधिकतम एफ० ए० आर० प्राप्त कर चुके हैं। जमीन का विकास, निर्माण एवं मालिकाना आबंटन को छोड़कर, जमीन के आनुपातिक हिस्से, फ्लैट के हस्तांतरण बिक्री (विकासकर्ता केवल अपने हिस्से को) संबंधी सभी अनिवार्य कार्य विकासकर्ता के द्वारा पूरा किया जाएगा। जमीन मालिक उक्त कार्य के लिए किसी तरह का खर्च वहन नहीं करेंगे। विकासकर्ता उपरोक्त प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत को राँची नगर निगम कार्यालय राँची के नियम के अनुरूप बनाएँगे इसकी सारी जिम्मेवारी विकासकर्ता की होगी अतः यह विकास एकरारनामा जमीन मालिकगण एवं विकासकर्ता के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:-

#### खण्ड-1-परिभाषा

1.1 जमीन मालिक का अर्थ है - (1) श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता-श्री रघुनन्दन प्रसाद गुप्ता एवं, (2) श्रीमति मालती देवी पति-श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, मौजा चुटिया, थाना नं०-211, थाना-चुटिया, जिला-राँची स्थित रकबा 4.94 डिसमिल के मालिक जिसे सिड्यूल-ए में दर्शाया गया है, जिसमें उनके निष्पादनकर्ता, प्रशासक, प्रतिनिधि, वारिस, उत्तराधिकारी सभी सम्मिलित माने जाएँगे।

1.2 विकासकर्ता का अर्थ है :- शिवाशीष कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड प्रधान कार्यालय ऑफिस संख्या 406 ईस्टर्न मॉल (पेन्टालून) नियर डंगराटोली चौक, थाना-लालपुर जिला-राँची 834001 इसके दोनो डाईरेक्टर (1) श्री अंजय मेहता पिता-श्री वीरचन्द्र महतो एवं (2) श्रीमति रूबी मेहता पति-श्री अंजय मेहता, हैं जिसमें निष्पादनकर्ता, प्रशासक, प्रतिनिधि, वारिस, उत्तराधिकारी सभी सम्मिलित माने जाएँगे।

1.3 भू-सम्पत्ती से तात्पर्य 4.94 डिसमिल या 03 कट्टा (2160 वर्गफीट) जमीन का वह भाग जो सिड्यूल-ए (प्रथम सिड्यूल) में वर्णित है एवं संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है।

Narendra Prasad Gupta

Malti Devi

1.4 भवन का तात्पर्य है - रॉची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रॉची द्वारा पारित नक्शा के आधार पर उक्त जमीन पर बननेवाली बहुमंजिली भवनों से है।

1.5 आवासीय फ्लैट्स का तात्पर्य-वह सुपर बिल्टअप एरिया जिसमें कार्यालय, शयनकक्ष, लिविंग रूम, प्रसाधन रसोईघर, बरामदा/बालकनी इत्यादी जो पूर्णरूपेण द्वितीय सिड्यूल में वर्णित है।

1.6 पार्किंग क्षेत्र का अर्थ उस जगह से है, जो मोटरगाडी (कारें), रखने के सुरक्षित रहेगा जो पूर्णरूपेण द्वितीय शिड्यूल में वर्णित है।

1.7 सामूहिक सुविधा:-सामूहिक सुविधा के अन्तर्गत कॉरीडोर, हॉल, सीढी, फुटपाथ, सामूहिक प्रसाधन, पम्प रूम, जेनरेटर रूम, ट्यूब वेल, ओवरहेड टैंक, वाटर पम्प, मोटर एवं लिफ्ट एवं अन्य सुविधाएँ जो कि पक्षकारों के आपसी सलाह से दिया जाएगा, जो कि भवन की स्थिति के अनुसार आवश्यक होगी तथा भवन के रख रखाव, रंग रोगन, प्रबन्ध भवन के टेरेस सहित शामिल है। जिसका विस्तृत ब्यौरा तृतीय शिड्यूल में वर्णित है।

1.8 सम्मिलित खर्च:-का तात्पर्य भवन के रख रखाव, मरम्मत, सामूहिक वस्तुओं की बदली करने, तथा सामूहिक सुविधाओं आनुपातिक, नगर निगम सम्पत्ती कर एवं अन्य कर का आनुपातिक कीमत, शुल्क, खर्च से है, जो कि उक्त भवन या जमीन से संबंधित हो या जुड़ा हो जो पूर्णरूपेण पंचम सिड्यूल में वर्णित है।

1.9 बिक्रय योग्य क्षेत्र:- से तात्पर्य उक्त भवन में सामूहिक क्षेत्र को छोड़कर बाकि बचे क्षेत्र से है जो कि स्वतंत्र उपयोग एवं दखल के लिए है।

1.10 मालिकाना आबंटन अथवा जमीन मालिक का हिस्सा का तात्पर्य उक्त बहुमंजिली निर्मित भवन के 30 (तीस) प्रतिशत निर्मित क्षेत्र, जिसमें आवासीय फ्लैट, पार्किंग स्थल (जो पूर्णतः द्वितीय शिड्यूल में वर्णित है) तथा जिसका निर्माण जमीन मालिकगण एवं विकासकर्ता की सहमति से चतुर्थ शिड्यूल में अंकित शर्तों पर निर्मित किया जाएगा जो कि जमीन के मालिकगण अथवा उनके नामित/नामितों को आबंटित किया जाएगा। जमीन के मालिकगण एवं विकासकर्ता के बीच यह भी तय हुआ कि बननेवाले उक्त बहुमंजिली इमारतों में लिफ्ट क्षेत्र, सीढी, ओवरहेड वाटर टैंक, एवं टी0 वी0 डिस एन्टेना लगाने के बाद बचे हुए सम्पूर्ण छत क्षेत्र का अधिकार सामानुपातिक रूप से जमीन के मालिकगण एवं विकासकर्ता का है [30 (तीस) प्रतिशत जमीन के मालिकगण का होगा एवं 70 (सत्तर) प्रतिशत विकासकर्ता का होगा]।

1.11 विकास कर्ता आबंटन से तात्पर्य है-प्रस्ताव के मुताबिक बननेवाले उक्त निर्मित बहुमंजिली इमारतों के बिक्रीयोग्य 70 (सत्तर) प्रतिशत क्षेत्र सुपर बिल्टअप क्षेत्र एवं कार पार्किंग स्थल जो कि विकासकर्ता को हिस्से में मिलेगा जिसमें लिफ्ट क्षेत्र, सीढी, ओवरहेड वाटर टैंक, एवं टी0 वी0 डिस एन्टेना एवं 70 (सत्तर) प्रतिशत अविभाज्य जमीन एवं 70 (सत्तर) प्रतिशत बहुमंजिला इमारतों का हिस्सा होगा।

Narender Prasad Gupta

Malvi Devi

खर्च में 13

Imply business

1.12 हस्तांतरण— से तात्पर्य है इच्छुक क्रेताओं के साथ उक्त बहुमजिली इमारतों के निर्मित क्षेत्र का व्यक्तिगत हस्तांतरण, दखल कब्जा सौंपना, यद्यपि यह भू-सम्पत्ति के हस्तांतरण संबंधी नियम कानून में वर्णित नहीं हो सकता।

1.13 ट्रॉसफरी:— (क्रेता) से तात्पर्य है ऐसे प्राकृतिक एवं न्यायप्रिय व्यक्ति, कम्पनी, संस्था या व्यक्तियों जिन्हें उक्त भवन के किसी क्षेत्र का हस्तांतरण होना होगा।

1.14 सुपर बिल्टअप क्षेत्र का तात्पर्य है फ्लैट का सामूहिक क्षेत्र एवं कारपेट क्षेत्र, दीवाल, बरामदा, बालकनी, कपबोर्ड, तथा सीढी, गार्ड रूम एवं जनरेटर रूम का आनुपातिक हिस्सा से है।

1.15 जहाँ भी किसी शब्द का प्रयोग एकवचन में हुआ हो उसे बहुवचन में तथा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द को एकवचन में भी समझा जाए।

1.16 जहाँ भी किसी शब्द का प्रयोग पुलिंग में हुआ हो उसे स्त्रीलिंग में तथा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्द को पुलिंग में एवं नपुंसक लिंग में प्रयुक्त शब्द को स्त्रीलिंग एवं पुलिंग में भी समझा जाए।

## खण्ड II प्रारम्भ

यह कि इस एकरारनामा के निस्पादन के बाद विकासकर्ता सभी प्रकार के प्रयास व अपने स्तर एवं अपने खर्च से सक्षम कार्यालय में नक्शा पास करा चुके है एवं जमीन पर प्रस्तावित भवन का निर्माण कर जमीन मालिकों का हिस्सा 30 प्रतिशत हिस्सा जमीन मालिकों को दे देंगे।

## खण्ड III योजना

योजना जो कि विकासकर्ता के द्वारा तैयार किया जाएगा तथा जिसपर जमीन के मालिकगण पूर्णतः सहमत हैं जो निम्न प्रकार सम्पन्न होता है:-

1. विकास कर्ता उक्त शिडयूल-ए में वर्णित सम्पत्ति पर बतनेवाले इमारतों के फ्लैट बिक्री करने के लिए क्रेता (गण) को आमंत्रित करेंगे। विकासकर्ता फ्लैट का निर्माण अन्य सामूहिक उपयोग में आनेवाले भाग तथा सामूहिक सुख सुविधाओं के साथ करेंगे।
2. विकासकर्ता यदि आवश्यक समझेंगे, तो वैसे इच्छुक क्रेताओं के साथ विकास कर्ता अपने हिस्से का वैसे क्रेता (गण) के साथ एकरारनामा करने के लिए सक्षम रहेंगे। विकासकर्ता के नामित के रूप में इच्छुक क्रेतागण जमीन के अखण्डनीय आनुपातिक हिस्सा कय करने के लिए विकासकर्ता के साथ एकरारनामा कर सकेंगे।
3. विकासकर्ता द्वारा जमीन के मालिकगण को उक्त भवन में उनके हिस्से का फ्लैट एवं पार्किंग स्थल सौंपने के बाद जैसा कि विकास एकरारनामा में वर्णित है वे उसका उपयोग, उपभोग एवं दायित्वों निर्वाह करेंगे।
4. फ्लैटस एवं पार्किंग स्थल जमीन के मालिकगण के हिस्से का एवं इच्छुक क्रेता (गण) का दखल कब्जा मिल जाने के बाद वे सामूहिक खर्च, टैक्स एवं अन्य खर्च जो कि पंचम शिडयूल में वर्णित है विकासकर्ता को उस तारीख तक देंगे जिस दिन उनका फ्लैट एवं पार्किंग स्थल पर दखल कब्जा दिया

रवर्क ग्रेट

Amal Kumar

Naveendra Prasad Gupta

Meeta Devi

गया तथा यह तब तक देते रहेंगे। जब तक कि विकासकर्ता किसी संगठन संस्था जो कि दो माह के अंदर बन सकता है को नहीं सौंपते और यदि नहीं देते हैं तो दो प्रतिशत प्रतिमाह व्याज के साथ लिया जाएगा।

#### खण्ड IV विकास कर्ता के अधिकार:-

1. जमीन के मालिकगण एकरारनामा के अनुसार विकासकर्ता को जैसा कि इस एकरारनामा में वर्णित है अपार्टमेंट का खाका बनाने, संरचना बनाने तथा उसे पूरा करने, बिक्री एकरारनामा करने, हस्तांतरण करने एवं रॉची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रॉची के द्वारा पारित नक्शा के अनुरूप अथवा उसमें थोडा बहुत तब्दिली कर या बगैर तब्दिली किए निर्माण करने का पूर्ण अधिकार देते हैं। अगर विकासकर्ता स्वीकृत नक्शे को तब्दिली करते हैं तो जमीन के मालिकगण एवं सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
2. विकासकर्ता रॉची नगर निगम रॉची के नियम तथा कानून के अन्तर्गत नक्शा में यदि आवश्यक हो सुधार कर सकते हैं तथा इसका सारा फीस, जैसे आर्कटिटेक्ट फीस जैसा आवश्यक हो, का वहन करेंगे ताकि उक्त जमीन पर बनाए जानेवाले भवन/भवनों का नक्शा रॉची नगर निगम रॉची से पारित कराया जा सके। जमीन के मालिकगण रोड वाईडेनिंग के लिए रॉची नगर निगम रॉची के नियम तथा कानून के अनुसार बिना आनाकानी के अपनी जमीन गिफ्ट भी करेंगे।

#### खण्ड V अपार्टमेंट (विचार विमर्श):-

1. जमीन मालिक के द्वारा उक्त भूमि के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिकार से संबंधित कागजातों के अवलोकन एवं जमीन के मालिकगण के द्वारा दिए गए व्यक्तिगत गारन्टी की वे जमीन के बारे में जो भी बताए हैं, सही है तथा उक्त जमीन पर उनका पूर्ण स्वत्व, स्वामित्व व अधिकार है तथा वे एकरारनामा में प्रवेश करने के अधिकारी हैं उसी के मधे नजर जमीन के मालिकगण विकासकर्ता को उक्त भूमि 36 माह व 6 माह के अतिरिक्त समय तक के लिए जो रॉची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रॉची के द्वारा पारित नक्शा के दिन से लागू होगा, उसीके अन्दर उक्त भूमि का व्यवसायिक विकास करने उस पर भवन बनाने एवं उसे पूरा करने के लिए अधिकार देते हैं।

- क) विकासकर्ता अपने स्वयं के खर्च पर हर प्रकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे।
- ख) विकासकर्ता सभी प्रकार के खर्च यथा विकास प्रबन्धन एवं उक्त भूमि पर बननेवाले भवन में मालिकाना आबंटन संरचना निर्माण खर्च का वहन करेंगे।
- ग) यदि आनेवाले समय में विकासकर्ता को उनके हिस्से का सामान्य मोख्तारनामा (General Power Of Attorney) लेने की आवश्यकता हुई तो जमीन के मालिकगण अवश्य बिना आनाकानी व अविलम्ब दे देंगे जिसे वो किसी भी हालत में खंडित नहीं करेंगे ताकि विकासकर्ता अपने हिस्से का खरीद बिक्री सुविधानुसार कर सकें। जमीन मालिक भवन निर्माण पूरा होने के बाद अपने हिस्से पर दरखल कब्जा लेने के अधिकारी होंगे।

Narendra Prasad Gupta

Malti Devi

घ) उक्त भवन का निर्माण रॉची नगर निगम रॉची से नक्शा पास होने के बाद से 36 महीने एवं 6 माह अतिरिक्त समय में पूरा किया जाएगा।

ड) यदि विकासकर्ता निर्धारित समय में उक्त भवन का निर्माण कर पाने में असमर्थ होते हैं तो सही क्षतिपूर्ति देंगे जो दोनों पक्षों की आपसी बातचीत से तय होगी।

#### खण्ड VI जमीन मालिकगण/जमीन आबंटन:-

यह कि उक्त भवन में आवासीय क्षेत्र फ्लैट के रूप निर्मित क्षेत्र होगा (जो कि द्वितीय शिडयूल में पूर्णरूपेण वर्णित है) जो कि चतुर्थ शिडयूल में दर्शाए गए संरचनाओं के आधार पर बना होगा तथा जिसपर जमीन के मालिकगण एवं विकासकर्ता की आपसी रजामन्दी होगी, जमीन मालिक अथवा उनके नामित/नामितो के नाम से आबंटित करने योग्य होगा।

1. विकासकर्ता उक्त बहुमजिली भवन का निर्माण कार्य अपने खर्च पर पूरा करेंगे तथा जमीन मालिक को उनके हिस्से का फ्लैट, एवं पार्किंग स्थल को चिन्हीत कर चुके हैं।
2. यह कि उक्त भवन में जमीन मालिकगण को पूरे निर्मित क्षेत्र का 30 (तीस) प्रतिशत सुपर बिल्ट अप क्षेत्र हिस्से में मिलेगा बाकि का बचा 70 (सत्तर) प्रतिशत सुपर बिल्ट अप क्षेत्र विकासकर्ता के हिस्से का होगा अथवा कम या अधिक होने पर उस क्षेत्र का मूल्य एक दूसरे को देय होगा।
3. यह कि उक्त भवन में जमीन के मालिकगण को अपने हिस्से के फ्लैट एवं पार्किंग स्थल जो मालिकाना खण्ड में वर्णित है, को छोड़कर बाकि क्षेत्र यथा जमीन या भवन पर किसी तरह का दावा नहीं होगा।

#### खण्ड VII विकासकर्ता/विकासकर्ता आबंटन:-

1. विदित हो कि उक्त डेवेलपमेंट एकरारनामा द्वारा कुल 4.94 डिसमिल जमीन लेकर भवन प्लान वाद संख्या BP02/2015/688 दिनांक 26-12-2016 ई० को पत्रांक 4080 स्वीकृत करा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में तीन ब्लॉक के लिए ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, एवं ब्लॉक सी के रूप में बहुमजिली ईमारत बनेगा।
2. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार उक्त बहुमजिली भवन जो कि उक्त जमीन पर बनेगा, में खण्ड VI में वर्णित मालिकाना आबंटन को छोड़कर, विकासकर्ता 70 (सत्तर) प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र तथा जमीन में आबंटनीय आनुपातिक हिस्सा, सामुहिक हिस्सा एवं सुविधाओं एवं भवन के अन्य सेवाओं में भागीदार होंगे, जिसके लिए विकासकर्ता इच्छुक कंता (गण) के साथ अपने हिस्से के क्षेत्र का बिक्री एकरारनामा करने बिक्री हस्तांतरण करने तथा उक्त क्षेत्र के मूल्य लेने के अधिकारी होंगे। पक्षकारों के बीच यह भी तय हुआ कि विकासकर्ता को अपने हिस्से के क्षेत्रों को बिक्री हेतु एकरारनामा करने एवं बिक्री करने के लिए जमीन के मालिकगण से सलाह करने की कतई कोई आवश्यकता नहीं होगी।
3. विकासकर्ता अपने हिस्से के क्षेत्र को किसी भी सरकारी बैंक, सरकारी संस्था, प्राईवेट संस्था प्राईवेट क्षेत्र के बैंक को बंधक रख सकते हैं तथा अन्य स्रोतों से धन उगाही का अधिकार होगा या अपने

Narenchra Prasad Gaurh-

15/11/17

Malti Devi

15/11/17

स्वत्व, अधिकार, हित में जैसा चाहें उपयोग कर सकते हैं परन्तु किसी तरह की जवाबदेही जमीन के मालिकगण की नहीं होगी।

### खण्ड VIII आपदा:-

1. विकासकर्ता के कार्य के प्रति वचनबद्धता में यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई अस्थायी रुकावट है तो वे इसके लिए विकासकर्ता जिम्मेवार नहीं होंगे तथा आपदा के कारण जितने समय तक रुकावट होती है वह क्षम्य एवं माफ होगी।
2. आपदा का अर्थ है बाढ़, भूकम्प, हंगामा, युद्ध, आधी, चक्रवात, तूफान, अन्य व्यवधान, सिविल वार, हडताल, बंद अथवा ऐसी घटनाएँ जिस पर विकासकर्ता का कोई वश न हो।

### खण्ड IX (विविध):-

1. यह कि जमीन मालिक सहमत और वचनबद्ध हैं कि वे झारखण्ड अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2002 की धारा 5(2) एवं (3) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासकर्ता/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने अपने हिस्से के स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने अन्तर्ण करने के पूर्ण हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल समक्ष निबंधक के निबंधन कार्यालय में निबंधन करवाएँगे जिसमें झारखण्ड अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2002 के अधिनियम एवं नियम का पालन किया जाएगा जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।
2. जमीन के मालिकगण एवं विकासकर्ता यह एकरारनामा विशुद्ध रूप से टेके के तौर पर किए हैं, जिसे जमीन के मालिकगण एवं विकासकर्ता के बीच साझेदारी नहीं समझा जा सकता है अथवा दोनो का संयुक्त साहसिक प्रयास समझा जा सकता है, परन्तु पक्षकार इसे संस्था के रूप में स्थापित नहीं करेंगे।
3. समय-समय पर विकासकर्ता द्वारा उक्त भवन निर्माण कार्य को सुचारु रूप से करने, तथा फ्लैट, पार्किंग स्थल के दस्तावेजों वगैरह से हस्तांतरण संबंधी, जिसका वर्णन नहीं हो पाया है परन्तु उसकी आवश्यकता हो सकती है, जिसपर जमीन के मालिकगण का हस्ताक्षर आवश्यक होगा, जिसका प्रावधान का जिक्र नहीं हो पाया है तो वैसी परिस्थिति में जमीन के मालिकगण हर संभव सहयोग बिना आनाकानी के करेंगे।
4. जमीन के मालिकगण वैसे हर कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं, जो जमीन मालिकगण के करने के योग्य हो। जमीन के मालिकगण अतिरिक्त दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों के उपर हस्ताक्षर करने के लिए भी वचनबद्ध हैं, बशर्त कि वैसे दस्तावेजों से जमीन के मालिकगण के अधिकारों का हनन न हो।
5. विकासकर्ता के द्वारा जमीन के मालिकगण के हिस्सों को दखल देने के पश्चात् विकासकर्ता प्रथम शिडयूल में वर्णित भूमि पर मालिकाना आबंटन को छोड़कर अपने हिस्से के फ्लैट एवं कार पार्किंग स्थल एवं आबंटनीय आनुपातिक जमीन का हिस्सा को बिक्री करने के हकदार होंगे।

Narender Prasad Gupta  
15/1/17

Malti Devi

रजनी देवी  
Malti Devi

6. जमीन मालिकगण वैसे हर कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं, जो जमीन मालिकगण के करने योग्य हो। जमीन मालिकगण अतिरिक्त दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों के उपर हस्ताक्षर करने के लिए भी वचनबद्ध हैं, बशर्ते कि वैसे दस्तावेजों से जमीन मालिकगण के अधिकारों का हनन न हो। इस एकरारनामा के बाद आवश्यक हुआ तो मालिकगण बिल्डर के हिस्से के फ्लैट का पावर ऑफ एटार्नी विकासकर्ता को निश्चित रूप से दे देंगे।
7. विकासकर्ता इस विकास एकरारनामा के आधार पर अपने हिस्से का फ्लैट एवं कार पार्किंग स्थल एव आबंटनीय आनुपातिक जमीन का हिस्सा को बिक्री करने के हकदार होंगे इसपर दोनों जमीन मालिक सहमत हैं।
8. यह कि इस निबंधित एकरारनामा के द्वारा विकासकर्ता शिड्यूल दो में वर्णित अपने 70 प्रतिशत हिस्से की फ्लैट कार पार्किंग तथा जमीन की बिक्री (हस्तांतरण) करने के लिए विकासकर्ता स्वयं ही ग्राहक या ग्राहकों को अब ढूँढेंगे और स्वयं मूल्य का निर्धारण करेंगे तथा इसके बिक्रय के लिए विक्रयपत्र लिखवाकर मात्र अपने हस्ताक्षर से उसकी रजिस्ट्री निष्पादित करेंगे रजिस्ट्री की सभी कार्यवाई भी करेंगे जैसे जमीन मालिक करते हैं।
9. यह कि विकासकर्ता अपने हिस्से की फ्लैट कार पार्किंग तथा जमीन का देखभाल सम्भाल इत्यादि आज के बाद से मालिक के स्थान पर विकासकर्ता अब जमीन मालिक के प्रतिनिधि के तौर पर स्वयं किया करेंगे।
10. यह कि विकासकर्ता अपने हिस्से के फ्लैट एवं जमीन के संबंध में होनेवाले हर प्रकार के मामले, मुकदमें जिसमें दीवानी, फौजदारी तथा रेवेन्यु इत्यादि के मुकदमों के साथ का कार्य भी शामिल है की पेशी सभी जगहों (न्यायालयों) में विकासकर्ता जमीन मालिक के प्रतिनिधि के तौर पर अपने ही हस्ताक्षर से अब किया करेंगे।
11. विकासकर्ता उक्त भूमि का व्यवसायिक विकास कर सकेंगे तथा विकासकर्ता उक्त भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी सरकारी बैंक प्राईवेट बैंक व किसी भी प्राईवेट संस्थान या सरकारी संस्थान से कर्ज ले सकेंगे एवं प्रोजेक्ट को फाईनेन्स करीकर प्रोजेक्ट लोन लें सकेंगे जिसमें जमीन मालिकों का कोई आपत्ति नहीं होगा।
12. उक्त भवन के निर्माण कार्य के बाद विकासकर्ता तथा उनके इच्छुक कंता (गण) तथा जमीन के मालिकगण तथा उनके इच्छुक कंता (गण) अपने अपने हिस्से का आनुपातिक सामुहिक खर्च एवं टैक्स वगैरह का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।
13. इसके पूर्व उक्त जमीन के संबंध में जमीन के मालिकगण द्वारा कोई विकास एकरारनामा अथवा कोई बिक्री एकरारनामा नहीं किया गया है यदि वैसा कोई एकरारनामा हुआ हो तो इस एकरारनामा के साथ ही रद्द हो जाएगा एवं यह एकरारनामा सभी एकरारनामा को सुपरसिड (Supercede) करेगा।

Narendra Prasad Gatti

Malte Devi

शुद्ध प्रकृत

Ampt business

14. जमीन के मालिकगण आश्वस्त करते हैं कि उक्त जमीन बिल्कुल पाक व साफ है इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद, केस मुकदमा, ऋण-भार नहीं है न ही किसी अन्य व्यक्ति से इस जमीन की बिक्री हेतु कोई एकरारनामा किये हैं और न ही किसी से कोई रूपया ही लिया है एवं सभी ऋण दोषों से मुक्त है। यदि भविष्य में प्रथम शिड्यूल में वर्णित जमीन के स्वत्व व अधिकार संबंधी कोई विवाद या कोई कानूनी अडचन होता है तो उसके लिए हर प्रकार से जमीन के मालिकगण ही जिम्मेवार होंगे एवं सभी प्रकार के विवादों का निपटारा जमीन के मालिकगण अपने खर्च व अपने स्तर से ही शीघ्र से शीघ्र करेंगे उसके बीच के समय का गणना नहीं होगी। इसके बावजूद यदि किसी व्यक्ति का टाईटल सम्बन्धी कोई दावा निकलेगा तो वैसी परिस्थिति में विकासकर्ता जमीन मालिक के हिस्से से उस दावा की भरपाई कर विवाद को समाप्त कर देंगे।

15. विकासकर्ता यदि प्रोजेक्ट के अगल बगल के अन्य जमीन को विकास हेतु लेते हैं एवं जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो उसमें जमीन मालिक एवं फ्लैट के अन्य क्रेता को कोई आपत्ती नहीं होगी एवं आने जाने के लिए प्रोजेक्ट के रास्ते का इस्तेमाल भी बेरोक टोक करेंगे तो भी जमीन मालिक एवं फ्लैट के अन्य क्रेता को कोई आपत्ती नहीं होगी।

16. जमीन के मालिकगण फ्लैट आनर्स एसोशिएसन अथवा संस्था के सदस्य बनने के लिए वचनबद्ध है, जो कि उक्त भवन में रहनेवाले सदस्यों के द्वारा बनाया जाएगा, एसोशिएसन अथवा संस्था भवन के मरम्मत, रख रखाव आदि कार्य करेगी तथा सभी प्रकार के टैक्स आदि का भुगतान करेगी तथा उक्त संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार के बाहरी खर्च फ्लैट मालिकों के द्वारा वसूल करेगी। फ्लैट आनर्स एसोशिएसन शीष बिन्दू पर होगा, जो कि फ्लैट मालिकों के शांतिपूर्ण निवास के लिए कार्य करेगी।

17. उक्त भवन का निर्माण 36 महीने एवं छः माह अतिरिक्त समय में पूरा किया जाएगा, जो कि रॉची नगर निगम रॉची के नक्शा पास होने व जमीन के मालिकगण के द्वारा विकासकर्ता के हिस्से का पावर देने के दिन से प्रभावी व लागू होगा बशर्ते कि उपर वर्णित आपदाओं के कारण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

18. विकासकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि जमीन के मालिकगण को पूर्ण अधिकार होगा वे उक्त भवन में मालिकाना आबंटन के तहत मिलने वाले जो मालिकाना आबंटन शिड्यूल में वर्णित है, अपने हिस्से के निर्मित क्षेत्र का वे जैसा उपयोग, उपभोग, करना चाहें कर सकेंगे तथा जैसा ठीक समझें, किसी भी व्यक्ति, संस्था, संघ, फर्म, कम्पनी, स्वयं सेवक संघ, सहकारी समीति या सरकारी संस्था के साथ हस्तांतरण, सुपुर्दगी, बिक्री आदि करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होंगे, ऐसे शर्तों का निर्धारण जमीन मालिक के द्वारा किया जाएगा।

19. उक्त बहुमंजिली इमारत का नाम "शिव साई वाटिका" होगा।

20. जमीन के मालिकगण या उनके नामित/नामितों के सामुहिक सुविधाओं के उपयोग में ठीक उसी प्रकार का हक, स्वत्व एवं अधिकार होगा, जैसा कि विकासकर्ता अथवा नामित/नामितों का होगा।

Narendra Prasad Gaulti  
15/11/17

Malti Devi

रॉची नगर  
Lampre Linnere

21. जमीन के मालिकगण प्रथम शिड्यूल में वर्णित जमीन के कागजातों की मूल प्रति दे देंगे।
22. इस एकरारनामा के निबंधन के पश्चात् विकासकर्ता प्रथम शिड्यूल में वर्णित जमीन पर बहुमंजिली भवन बनाने हेतु आवश्यक कार्य, योजना, फ्लैट्स, पार्किंग स्थल तथा आबंटनीय आनुपातिक जमीन के हिस्से की बिक्री हेतु अग्रीम बुकिंग आदि प्रारम्भ कर देंगे।
23. विकासकर्ता नक्शा पारित होने के बाद उक्त बहुमंजिली भवन निर्माण में मालिकाना आबंटन में बिना छेड़छाड़ किए यदि कोई तब्दिली करना चाहें तो जमीन मालिकगण इसमें कोई आपत्ती नहीं करेंगे, बर्शाते कि यह राँची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राँची के अनुरूप एवं स्वीकार्य हो।
24. जमीन के मालिकगण अन्य फ्लैट मालिकों के साथ-साथ, समय-समय पर आनुपातिक आवश्यक फीस नगर निगम/सरकार को चुकाते रहेंगे जैसा कि वे अन्य सम्पत्ति में चुकाएँगे।
25. विकासकर्ता उक्त जमीन के एकरारनामा के निष्पादन के दिन रूपये 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मात्र दोनो जमीन मालिक को चेक द्वारा दे चुके हैं एवं रूपये 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मात्र नक्शा नगर निगम राँची से निकलने के छः माह के अन्दर दोनो जमीन मालिक दे दिया जाएगा इस प्रकार कुल मिलाकर रूपये 30,00,000/- (तीस लाख) मात्र जमीन मालिकों को दे दिया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा दिया गया यह कुल रकम रूपये 30,00,000/- (तीस लाख) मात्र नन रिफण्डेबल है।

खण्ड X (वैधानिक विधि):-

1. दोनो पक्षों के बीच यह तय एवं निश्चित हुआ कि उक्त जमीन के स्वत्व वो दखल कब्जा संबंधी सभी तरह की जवाबदेही तथा कार्यवाही जमीन के मालिकगणों की होगी।
2. जमीन के मालिकगण इस एकरारनामा के द्वारा विकासकर्ता को अधिकृत करते हैं कि विकासकर्ता उक्त भूमि का नियमानुसार विकास करेंगे, कंटागण निर्धारित करेंगे तथा वह सब कार्य करने में सक्षम रहेंगे जिससे भवन निर्माण कार्य, पारित योजना के अनुरूप पक्षकारों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फ्लैट, पार्किंग स्थल का यथोचित प्रबन्ध कर सकेंगे। जमीन मालिक विकासकर्ता अथवा उनके निदेशक के पक्ष में एक निबंधित सामान्य मोख्तारनामा का निष्पादन करेंगे जिसे इस एकरारनामा का हिस्सा समझा जाएगा। उक्त सामान्य मोख्तारनामा इस विकास एकरारनामा में निहित नियमों के अनुरूप होगा, यदि इसमें कोई भी बात इस विकास एकरारनामा के प्रतिकूल होगी तो इस विकास एकरारनामा को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. यदि भविष्य में विकास कार्य के दौरान उक्त जमीन के विकास कार्य में कोई कानूनी अडचन आता या होता है, अथवा बहुमंजिली भवन के निर्माण कार्य, बिक्री आदि में कोई बाधा उत्पन्न होता है तो जमीन के मालिकगण इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे।
4. इस एकरारनामा के संबंध में दोनो पक्षों के बीच यदि कोई व्यवधान या विवाद होने पर राँची के न्यायालय में उसका निबटारा किया जाएगा।

Narendra Prasad Gupta

15/11/12

Mallikarjuni

15/11/12

15/11/12

प्रथम शिड्यूल:-

मवाजी कुल रकबा 4.94 डिसमिल जमीन हकियत खरीदगी, कायमी व दखली अपना हक व हिस्सा बाके मौजा चुटिया, थाना नं0-211, वार्ड संख्या-13, अंचल-शहर अंचल सदर राँची, थाना-चुटिया, जिला राँची, मौजा-चुटिया, थाना नं0-211, वार्ड संख्या-13, थाना-चुटिया, जिला-राँची जिस जमीन का चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर में :-प्लॉट संख्या 86/III  
1185

दक्षिण में :- सडक।

पूरब में :- प्रस्तावित सडक।

पश्चिम में :- प्लॉट संख्या 83 का भाग।

द्वितीय शिड्यूल (भवन एवं हिस्सा बँटवारा) :-

विकासकर्ता उक्त बहुमंजिली भवन का निर्माण कार्य अपने खर्च पर नगर निगम राँची के द्वारा पारित नक्शा के अनुरूप पूरा करेंगे जिसके एवज में तथा जमीन मालिक एवं विकासकर्ता का उनके हिस्से का फ्लैट एवं पार्किंग स्थल इस प्रकार होगा:-

जमीन के मालिकों का हिस्सा

(1) नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता का 2.47 डि० जमीन के बदले मिलने वाला हिस्सा :- (ब्लॉक बी कुल एक फ्लैट)

फ्लैट संख्या	मंजिल	ब्लॉक	सु० वि० एरिया	पार्किंग संख्या
102	प्रथम तल	बी	1220	पी-102

श्रीमति मालती देवी का 2.47 डि० जमीन के बदले मिलने वाला हिस्सा :- (ब्लॉक बी कुल एक फ्लैट)

फ्लैट संख्या	मंजिल	ब्लॉक	सु० वि० एरिया	पार्किंग संख्या
105	प्रथम तल	बी	1220	पी-105

Narender Prasad Gupta  
15/4/12

Malti Devi  
15/4/12

राँची  
15/4/12

15/4/12

विकासकर्ता का ब्लॉक बी में हिस्सा :- कुल चार प्लैट।

प्लैट संख्या	मंजिल	ब्लॉक	सु0 वि0 एरिया	पार्किंग संख्या
302	तृतीय तल	बी	1220	पी-302
502	पंचम तल	बी	1220	पी-502
205	द्वितीय तल	बी	1220	पी-205
305	तृतीय तल	बी	1220	पी-305

जमीन के मालिक का पार्किंग का हिस्सा :- ब्लॉक बी कुल एक पार्किंग पी-102 जो कि ग्राउण्ड तल में है।

जमीन के मालिक का पार्किंग का हिस्सा :- ब्लॉक बी कुल एक पार्किंग पी-105 जो कि ग्राउण्ड तल में है।

विकासकर्ता का हिस्सा पार्किंग का हिस्सा :- ब्लॉक बी कुल चार पार्किंग पी-302 पी-502 पी-205 एवं पी-305 जो कि ग्राउण्ड तल में है।

कुल रकबा 4.94 डिसमिल जमीन का मूल्य :- रूपये 25,05,500/-  
(सरकार द्वारा तय की गई व्यवसायिक मूल्य :-  
रूपये 5,07,166/- प्रति डिसमिल का 2.5 प्रतिशत) रूपये 62,700/-

तृतीय शिड्यूल (सामुहिक सुविधाएँ) :-

1. नींव, (फाउन्डेशन) कॉलम, बीम, सर्पोट, कॉरीडोर, लॉबी, सीढ़ी, सीढ़ी रास्ता, आगमन, प्रस्थान। सामुहिक सुविधाओं के मरम्मत अथवा रख, रखाव के लिए आवश्यकता पडने पर छत के टेरेस का उपयोग करने का अधिकार विकासकर्ता एवं इच्छुक क्रेतागण को होगा। विकासकर्ता को निर्धारित औसत 70 (सत्तर) प्रतिशत एवं 70 (सत्तर) प्रतिशत के आधार पर छत के उपर अतिरिक्त निर्माण का अधिकार रहेगा।
2. पम्प लगाना, पम्प रूम, स्टॉफ रूम तथा कामगारों के रहने की व्यवस्था।
3. सामुहिक उपयोग का रास्ता, कार पार्किंग को छोडकर सवारी के लिए रास्ता यदि कोई हो।

Narendra Prasad Gatti

15/4/12

Malti Devi

15/4/12

रवनी प्रसाद

Malti Devi

4. ट्यूब वेल, वाटर पम्प, वाटर टैंक, रिजर्वॉयर, वाटर पाईपस एवं अन्य सामूहिक प्लम्बिंग इंस्टालेशन।
5. बिजली का वायरिंग, मीटर व अन्य फिक्सर्स (फ्लैट में लगने वाले को छोड़कर)
6. नालियाँ, गटर, वर्षा पानी का पाईप।
7. बाउन्ड्री वाल तथा भवन के बाह्य दिवाल के साथ एवं मुख्य प्रवेश द्वार।
8. लिफ्ट व लिफ्ट सुविधा, उपयुक्त जनरेटर तथा जनरेटर कमरा।
9. अन्य सामूहिक वस्तुएँ, क्षेत्र, इक्विपमेंट इंस्टालेशन, फिक्सर्स, फिटिंग, भवन के अन्दरूनी एवं बाह्य खाली क्षेत्र, जो कि फ्लैट मालिकों के रास्ते के उपयोग के लिए आवश्यक हो, परन्तु जिसमें कार पार्किंग को छोड़कर होगा।

चतुर्थ शिड्यूल (सामूहिक खर्च) :-

1. प्रबन्ध, रख रखाव, मरम्मत, सामूहिक उपयोग की वस्तुओं एवं सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाओं के कल पूर्जा को बदलने, रंग रोगन, भवन के बाह्य भाग को सजाने सवारने पेंट करने, बाउन्ड्री वाल, गार्ड वाल, प्रवेश, सीढी, लैंडिंग, गटर, वर्षाजल पाईप, मोटर पम्प, ट्यूब वेल, इलेक्ट्रिक वायरिंग लगाना, सीवर ड्रेन एवं अन्य सामूहिक भाग, फिक्सर्स फीटिंग्स, एवं भवन के अन्दरूनी एवं बाह्य हिस्से जो कि जमीन मालिक, फ्लैट के इच्छुक क्रेता (गण) तथा उनके सगे संबंधी एवं दखलकारों के सामूहिक उपयोग की हों उनसे जुडी सभी प्रकार के खर्च।
2. मुख्य प्रवेश द्वार, रास्ता, लैंडिंग, सीढी, एवं अन्य सामूहिक उपयोग में आनेवाले भाग के साफ सफाई, रख रखाव एवं रौशनी का प्रबन्ध के संबंधित खर्च।
3. मैनेजर, क्लर्क, बिल कलेक्टरर्स, चौकीदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, स्वीपर आदि के वेतन।
4. पम्प, ट्यूब वेल एवं अन्य प्लम्बिंग कार्यों के मरम्मत, बदली, रख रखाव खर्च एवं लिया गया सामूहिक सेवा शुल्क जैसे लिफ्ट एवं जनरेटर के रख रखाव का खर्च।
5. म्यूनिसपल टैक्स एवं अन्य टैक्स तथा बाह्य खर्च दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से से करेंगे।

Narendra Prasad Gupta  
15/4/17

Malti Devi.

Malti Devi

6. भूकम्प, आग, उपद्रव, क्षति, कोलाहल इत्यादी का भवन बीमा दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से से करेंगे।
7. सामूहिक रूप से उपयोग होने वाले सभी भागों का इलेक्ट्रीकल शुल्क।
8. अन्य प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी खर्च तथा उक्त भवन को सही हालत में रखने से संबंधित रॉची नगर निगम, अन्य सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, बीमा कम्पनी या अन्य व्यक्तियों के साथ किसी तरह के केश मुकदमों के खर्च जो कि विकासकर्ता से संबंधित हो अथवा उनसे किया जाए अथवा भवन के दखलकारों से के संघ, संस्था से संबंधित हों।

पंचम शिड्यूल :-

1. सभी इच्छुक केता नवनिर्मित बहुमंजिला भवन में प्राप्त सभी सुविधाओं तथा सतत् एवं प्रकट सुविधानुसार इत्यादि के समान हकदार होंगे।
2. उक्त भवन में आने जाने के सभी रास्ते भवन में रहनेवाले सभी व्यक्तियों के लिए होंगे, जिसका उपयोग इच्छुक केता के अलावे उनके परिवार के सदस्य, सभी के नौकर चाकर, अतिथिगण, ग्राहक तथा मिलने जुलने के लिए आने जानेवालों के लिए समान रूप से रहेगा तथा किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि सार्वजनिक मार्ग, लॉबी, सीढ़ी, गाडियों के आने जाने के रास्ते पर किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे या जहाँ तहाँ गंदगी नही फैलाएंगे।
3. अपने फ्लैट को या बिल्डिंग की अन्य भागों से सुरक्षा संबंधी सभी तरह के उपाय कर सकते हैं।

षष्ठम शिड्यूल :-

निम्नलिखित अधिकार एवं सुविधाएँ, फ्लैट अथवा उसके किसी भाग के अन्य केता (गण) अथवा फ्लैट में रहनेवालों के लिए सुरक्षित होगा।

1. उक्त भवन के अन्य भाग अथवा फ्लैट में रहनेवाले (फ्लैट मालिकों को छोडकर) बिजली, पानी, जमीन, एवं अन्य वस्तुओं तथा पाईप, नालियों, तारों, उन फ्लैटों से गुजरनेवाले जो आवश्यक हो सकता है, का इस्तेमाल कर सकेंगे।
2. भवन के अन्य भागों अथवा फ्लैट के सभी भागों को सुरक्षित रखने का अधिकार जैसा कि अन्य सभी को है।

Narendra Prasad Gupta

Malti Devi

11/11/17  
रवीन्द्र

Long business

3. फ्लैट में ढाँचागत परिवर्तन करने उसे छोटा करने इत्यादि का अधिकार जैसा उक्त फ्लैट के अन्य केता को हासिल है।

अतः दोनों पक्षकार के सभी सदस्यगण अपने अपने गवाहों की उपस्थिति में इस विकास एकरारनामा पर लिखी सभी बातों को अच्छी तरह से पढ़ पढ़वाकर एवं समझ बुझकर अपना अपना हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष बना दिए ताकि समय पर काम आवे।

गवाह:-

1) ~~सुनील कुमार सिंह~~  
 पीता-श्री राम पट्टोचर सिंह  
 2) चुडीपा शौची  
 राज बहाय सिंह  
 अब खिलेन्द्र सिंह  
 चुडीपा शौची

1) Narench Prasad Gahli  
 15/4/17

2) Malti Devi  
 15/4/17

(जमीन के मालिकगण)

प्रथम पक्ष।



आशा



रजनी



सत्यम



अशोक



विकासकर्ता

*(Handwritten signature)*  
 15/4/17

द्वितीय पक्ष।

शुबी शेट्टा  
 15/4/17



शुबी शेट्टा  
 रजनी  
 केशव

वि. नं. 18/4/17



झारखण्ड सरकार

झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
अधिकार अभिलेख



रेयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता

नागोसर कोइरी, वल्द-जगुकोइरी, जाति-कोइरी, निवासी-साकीनदेह मोतालीक मो0 न0 291 सन 1935-36 ई0 हकफ दफा 85 से माल भोकरर हुवा मो0 14-0-0 चौदह रुपैआ समत 1993 साल से आमल में आवेगा ता0 3-10-35

जिला का राँची अंचल का नाम अरगोडा हलका का हल्का-03 मौजा का नाम चुटिया नाम

खेवट नम्बर 1 खाता नम्बर 85 थाना का राँची थाना नम्बर 211 नाम

खाता नम्बर	खेसरा नम्बर	चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान			खास शर्त
				कियारी संख्या (5)				रौ (10)	आ (11)	पै (12)	
85	86	? रास्ता ? दोन नीज	दोन एक 2	0 एकड़	41 डिसमील			12	10	0	कायमी
	349	? टाड़ नीज ? मकान वैगू सोध	टाड़ एक 2	0 एकड़	15 डिसमील	वकवजे मोसेमात तेतरी वहीन रैअत					कायमी
	350	? टाड़ नीज ? टाड़ नीज	मकान/2,सहन/1 0	0 एकड़	7 डिसमील	कटहल/1 कुलहक वकवजे रैअत					कायमी
	351	? टाड़ नथु कोइरी ? टाड़ नीज	टाड़ एक 6	0 एकड़	64 डिसमील	सरीफा/11 आमस्ट/3 शेमर/1 इमली/1 कासकोठी/1 करज/2 आम/1 नीम/1 कुलहक वकवजे रैअत					कायमी
	370	? टाड़ हरीय कोइरी ? टाड़ नीज	टाड़ एक 1	0 एकड़	14 डिसमील	वकवजे मोसेमात तेती वहीन रैअत					कायमी
	999	? दोन नगोसर कोइरी ? दोन मरया मुन्डा	दोन दो 16	1 एकड़	4 डिसमील						कायमी
	1003	? दोन नीज ? दोना डडीया	परती कदीम 91	0 एकड़	2 डिसमील						कायमी

1005	? दोन सुखल कोइरी ? दोन मकल दोनों	दोन तीन 13	0 एकड़	35 डिसमील			कायमी	
1014	? दोन सोरधारी चौधरी ? दोन नीज	दोन दो 24	1 एकड़	40 डिसमील			कायमी	
86/1185	? दोन नीज ? सड़क	दोन दो 4	0 एकड़	57 डिसमील			कायमी	
खाता में कुल प्लोट संख्या		10	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)		4	79	खाता का कुल लगान	12 10 0

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

4/15/2017

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

April 15, 2017

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	18	पृष्ठ संख्या	211										
जिला का नाम	रोही	अनुमंडल नाम	सदर	अर्चन का नाम	अरगोडा	हलका का नाम	हल्का-03	इस्टेट का नाम	झारखण्ड				
मौजा का नाम	चुटिया	होलिंग संख्या	85	लौजी संख्या	0	धाना नाम	रोही	पाना नम्बर	01				
नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पितान्-धुनन्दन प्रसाद गुप्ता, जाति- —													
खाला नम्बर	फ्लोट संख्या	रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार				तगान	सेस			
85	85/1185	1 कठार छ. 0 वर्गफीट			दा. खा. केरा न. 946R27/2014-15				2	2.9			
	कुल परिमाण	1 कठार छ. 0 वर्गफीट											
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	नागत बकाया	नागत घातु साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस घातु साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस घातु साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस घातु साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस घातु साल
08-30-2016	1472593383	2014-2015	2016-2017	4	2	1	0.5	2	1	2	1	0.8	0.4
17/07/2014	059669	2013	2014-15	0	2	0	0.5	0	1	0	1	0	0.4

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

प्रमुख देखें



BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है

किसी भी प्रकार की असुविधाओं के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें

प्लेट का नक्शा देखने के लिए प्लेट नंबर वित्तक करें



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
पंजी ग प्रति

April 15, 2017

भाग वर्तमान	18	पृष्ठ संख्या	209											
जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	अरगौडा	हलका का नाम	हल्का-03	इस्टेट का नाम	झारखण्ड					
तौजा का नाम	धुटिया	होल्डिंग संख्या	85	तौजी संख्या	0	धाना नाम	राँची	धाना नम्बर	01					
मालती देवी, पिता-नरेन्द्र प्रशद गुप्त, जाति- —														
खता नम्बर	प्लॉट संख्या		रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार				तगम	सेब			
85	85/1185		1 कठार छ. 0 वर्गफीट			टा. खा. केरा न. 944R27/2014-15				2	2.9			
	कुल परिमाण		1 कठार छ. 0 वर्गफीट											
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	नागत बकाया	नागत धान् साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस धान् साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस धान् साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस धान् साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस धान् साल	
08-30-2016	1472592383	2014-2015	2016-2017	4	2	1	0.5	2	1	2	1	0.8	0.4	
17/07/2014	059667	2013	2014-15	0	2	0	0.5	0	1	0	1	0	0.4	

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

वपरा देखें



BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है

किसी भी प्रकार की अनुचितियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें

प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर विलक करें



अरगोडा | चुटिया | 211 | नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
85	86/1185	1 कठा 8 छटाक 0 वर्गफीट

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल (2016-2017)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2014-2015)	१ ला वर्ष (2015-2016)	
माल (नकदी)	2.00			2.00	2.00	2.00
गुजारी (भावली)	0.50			0.50	0.50	0.50
सेस	1.00			1.00	1.00	1.00
सूद	1.00			1.00	1.00	1.00
मुतफरकात	0.40			0.40	0.40	0.40
मीजान	4.90			4.90	4.90	4.90

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	बकाया				मोतालबा हाल (2016-2017)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2014-2015)	१ ला वर्ष (2015-2016)		
माल (नकदी)			2.00	2.00	2.00	
गुजारी (भावली)			0.50	0.50	0.50	
सेस			1.00	1.00	1.00	
सूद			1.00	1.00	1.00	
मुतफरकात			0.40	0.40	0.40	
मीजान अदायकारी			4.90	4.90	4.90	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) : Fourteen Rupees and Seventy Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 14.70

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 06-12-2016

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Print

अरगोडा | चुटिया | 211 | मालती देवी

खता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
85	86/1185	1 कठ 8 छटाक 0 वर्गफीट

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) भौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2016-2017)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2014-2015)	१ ला वर्ष (2015-2016)	
माल (नकदी)	2.00			2.00	2.00	2.00
गुजारी (भावली)	0.50			0.50	0.50	0.50
सेस	1.00			1.00	1.00	1.00
सूद	1.00			1.00	1.00	1.00
मुतफरकात	0.40			0.40	0.40	0.40
मीजान	4.90			4.90	4.90	4.90

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत		बकाया				मोतातबा हाल (2016-2017)	फजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2014-2015)	१ ला वर्ष (2015-2016)		
माल (नकदी)				2.00	2.00	2.00	
गुजारी (भावली)				0.50	0.50	0.50	
सेस				1.00	1.00	1.00	
सूद				1.00	1.00	1.00	
मुतफरकात				0.40	0.40	0.40	
मीजान अदायकारी				4.90	4.90	4.90	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Fourteen Rupees and Seventy Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 14.70

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 30-08-2016

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Print

# Issue Token 1:29:40 PM

Presenter/Executant's Name   
Token For Registry  
Counter No.   
Online Application ID (If Any)  [Verify On-line Payment](#)  
e-Stamp Certificate No. (If Any)  [Verify](#)


[Issue Token](#)


IN-JH05228918267835P:

Stamp Details For Verification. Please click issue after verification

CertificateNo: IN-JH05228918267835P  
CertificateIssuedDate: 25-Mar-2017 12:46 PM  
AccountReference: NONACC (FI)/ jhdopjc07/ DORANDA/ JH-RNC  
UniqueDocReference: SUBIN-JHJDOPJC0707434060209211P  
Purchasedby: SHIVAASHISH CONSTRUCTIONS PVT LTD  
DescriptionofDocument: Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement  
PropertyDescription: BUILDER AGREEMENT  
ConsiderationPriceRs: 0  
FirstParty: SHIVAASHISH CONSTRUCTIONS PVT LTD  
SecondParty: NARENDRA GUPTA AND OTHERS  
StampDutyPaidBy: SHIVAASHISH CONSTRUCTIONS PVT LTD  
StampDutyAmountRs: 500

**Maximum Token Issue Time : 2 PM**






Chutya

जामोना जलिया

जामोना जलिया

वीरसयन-२१०




इलाहाबाद-२२१

Scale 10 inches = 1 Mile

Mada and p.









निबंधन विभाग, झारखंड  
Ranchi

Token No.34 Token Date: 15/04/2017 13:29:12

Party Name: Shivashish Construction Pvt Ltd Thro Its Directors Anjay Mehta


Father/Husband Name:Veerchandra Mahto

(Claimant)

Falt No 109 Shivashish Kunj Rajnagar Power House Colony Chutia Ranchi

Deed Type: Development Agreement



Party Details

Name :	Anjay Mehta
Gender :	M
DOB :	05-02-1973
C/o :	S/O: Veer Chand Mahto
District :	Ranchi
House/Building No. :	Shivashish Kunj, Flat No.-109
Locality :	Area- Raj nagar PS- Chutia
Pincode :	834001
Post Office :	Ranchi G.P.O.
State :	Jharkhand
Village/Town/City :	Ranchi G.P.O.
Aadhaar No :	745601047996
Photo :	

Registering Officer

Party Signature

Operator's Signature





निबंधन विभाग, झारखंड  
Ranchi

Token No.34 Token Date: 15/04/2017 13:29:12

Party Name: Narendra Prasad Gupta

Father/Husband Name: Raghunandan Prasad Gupta  
(Executant)

Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi

Deed Type: Development Agreement

Party Details

Name :	Narendra Prasad Gupta
Gender :	M
DOB :	01-04-1955
C/o :	S/O Rameshwari Devi
District :	Ranchi
House/Building No. :	H.N.- 535 B 2
Locality :	Upper Chutia, Kathgola
Pincode :	834001
Post Office :	
State :	Jharkhand
Village/Town/City :	CHUTIA
Aadhaar No :	970691059748
Photo :	



Registering Officer

Narendra Prasad Gupta  
Party Signature

Rameshwari  
Operator's Signature



निबंधन विभाग, झारखंड  
Ranchi

Token No.34 Token Date: 15/04/2017 13:29:12

Party Name: Malti Devi

Father/Husband Name:Narendra Prasad Gupta

(Executant)

Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi

Deed Type: Development Agreement

Party Details

Name :	Malti Devi
Gender :	F
DOB :	01-01-1980
C/o :	W/O Narendra Prasad Gupta
District :	Ranchi
House/Building No. :	
Locality :	Upper Chutia Om Dal Mill, Post.-Chutia
Pincode :	834001
Post Office :	
State :	Jharkhand
Village/Town/City :	CHUTIA
Aadhaar No :	580131461905
Photo :	



Registering Officer

Party Signature

Malti Devi  
Operator's Signature

Malti Devi



निबंधन विभाग, झारखंड  
Ranchi

Token No.34 Token Date: 15/04/2017 13:29:12  
Party Name: Prem Kumar Sahu  
Father/Husband Name:Late Kali Sahu  
(Identifier)  
Chutia Ranchi

Deed Type: Development Agreement

Party Details

Name : Prem Kumar Sahu  
Gender : M  
DOB : 01-01-1979  
C/o : S/O Late Kali Sahu  
District : Ranchi  
House/Building No. :  
Locality : MAKCHUND TOLI,PO-CHUTIA  
Pincode : 834001  
Post Office :  
State : Jharkhand  
Village/Town/City : ranchi  
Aadhaar No : 720250725720  
Photo :



Registering Officer

Party Signature

Operator's Signature

प्रेम कुमार साहू



निबंधन विभाग, झारखंड  
Ranchi

Token No.34 Token Date: 15/04/2017 13:29:12  
Party Name: Shivashish Construction Pvt Ltd Thro Its Directors Ruby Mehta  
Father/Husband Name: Anjay Mehta  
(Claimant)  
Flat No 109 Shivashish Kunj Rajnagar Power House Colony Chutia Ranchi  
Deed Type: Development Agreement

Party Details

Name : Ruby Mehta  
Gender : F  
DOB : 01-01-1980  
C/o :  
District : Ranchi  
House/Building No. : shivashish kunj, flat no. 109  
Locality : Area- raj nagar ps- chutia  
Pincode : 834001  
Post Office :  
State : Jharkhand  
Village/Town/City : Ranchi G.P.O.  
Aadhaar No : 611169284782  
Photo :



Registering Officer

Party Signature

रुबी मेहता

Operator's Signature



निबंधन विभाग, झारखंड  
रांची  
जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token Date/Time: 15/04/2017 13:29:12

Token No: 34

Document Type: Development Agreement  
Presenter: Narendra Prasad Gupta  
Presenter Name & Address: Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi  
Date of Entry: 15/04/2017  
Stampable Doc. Value: 2505400  
Document/Transaction Value: 0  
Special Type: DOE  
Stamp Value: 500  
Serial/Deed No.: /  
Old Serial No.: /  
App. ID: /  
Total Pages: 76  
Book: 1  
CNO/PNO: /  
Remarks / Other Details: Property Details:  
e-Stamp Cert. No.: IN-JH05228918267835P

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	Boundary North	Boundary South	Boundary East	Boundary West	H No	Category	Area	Min. Value
Argora	211	13	Chutia	85	86/1185	RSP						U_COM	2.47 Decimal	1252700.02
Argora	211	13	Chutia	85	86/1185	RSP						U_COM	2.47 Decimal	1252700.02

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
---------------	---------	-----	-------	----------	------	------	--------

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Relation	Caste	Gender	PAN/F 60	UID	Mobile	Pres. Address	Perm. Address
1	Executant	Narendra Prasad Gupta	Raghuandan Prasad Gupta	Business	पिता	बनीया	Male	NOT REQ.	970691059748		Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi	Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi
2	Executant	Malli Devi	Narendra Prasad Gupta	H Wife	पति	बनीया	Female	NOT REQ.	580131461905		Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi	Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi
3	Claimant	Shivashish Construction Pvt Ltd Thro Its Directors Anjay Mehta	Veerchandra Mahlo	Business	पिता	कोइरी	Male	NOT REQ.	745601047996		Falt No 109 Shivashish Kunj Rajnagar Power House Colony Chutia Ranchi	Falt No 109 Shivashish Kunj Rajnagar Power House Colony Chutia Ranchi
4	Claimant	Shivashish Construction Pvt Ltd Thro Its Directors Ruby Mehta	Anjay Mehta	Business	पिता	कोइरी	Female	NOT REQ.	611169284782		Falt No 109 Shivashish Kunj Rajnagar Power House Colony Chutia Ranchi	Falt No 109 Shivashish Kunj Rajnagar Power House Colony Chutia Ranchi
5	Identifier	Prem Kumar Sahu	Late Kali Sahu	Business	पिता		Male	NOT REQ.	720250725720		Chutia Ranchi	Chutia Ranchi

Narendra Prasad Gupta

SN	Description	Amount	CHC	Net Amount
1	E1	62,635.00	626.35	63,261.35
2	SP	1,140.00	0.00	1,140.00
Total		63,775.00	626.35	64,401.35

उपर्युक्तियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप हैं।

नारायण प्रसाद गुप्ता  
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

निबंधन पूर्व सारांश में इंपुट फार्म के अनुरूप डाटा इंद्रि की गई है।

① Narendra Prasad Gupta ② Malti Devi

डाटा इंद्रि ऑपरेटर का हस्ताक्षर

उपर्युक्त ③ Anjay Mehta ④ Ruby Mehta ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया

जिसकी पहचान Prem Kumar Sahu निवासी Chhatti

पिता Lt. Kati Sahu पेशा Bani ने की।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
15/04/13

Narendra Prasad Gupta  
Anjay Mehta

रुबी मेहता

Malti Devi





निबंधन विभाग, झारखंड  
रांची

Token No.34 Token Date: 15/04/2017 13:29:12

Serial/Deed No./Year :2198/1867/2017

Deed Type: Development Agreement

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	<b>Narendra Prasad Gupta</b> Father/Husband Name:Raghunandan Prasad Gupta (Executant) Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi		
2	<b>Malti Devi</b> Father/Husband Name:Narendra Prasad Gupta (Executant) Badhai Tola Upper Chutia Near Shree Ram Mandir Chutia Ranchi		
3	<b>Shivashish Construction Pvt Ltd Thro Its Directors Anjay Mehta</b> Father/Husband Name:Veerchandra Mahto (Claimant) Falt No 109 Shivashish Kunj Rajnagar Power House Colony Chutia Ranchi		
4	<b>Shivashish Construction Pvt Ltd Thro Its Directors Ruby Mehta</b> Father/Husband Name:Anjay Mehta (Claimant) Falt No 109 Shivashish Kunj Rajnagar Power House Colony Chutia Ranchi		
5	<b>Prem Kumar Sahu</b> Father/Husband Name:Late Kali Sahu (Identifier) Chutia Ranchi		

Book No. 1  
Volume 197  
Page 1 To 76  
Deed No 2198/1867  
Year 2017  
Date 15/04/2017 16:56:26

Registering Officer  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Signature of Operator